जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/संबद्धता/2012/ 5387

दिनांक : 31/10/12

// सूचना //

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.10.2012 के पद क्रमांक 02 एवं स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.09.2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-1) लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहा. प्राध्यापक एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति पर शुल्क निर्धारित किया गया है। निर्णयानुसार चयन समिति गठन हेतु प्रति विषय रु. 1,000/- अथवा न्यूतंम 5,000/- जो भी अधिक हो, निधारित किया गया है। इस हेतु महाविद्यालय को निर्धारित राशि का डी.डी. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम जमा करना होगा तत्पश्चात् कमेटी का गठन डी.सी.डी.सी. कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 16.10.2012 के पश्चात् आयोजित होने वाली किसी भी चयन समिति को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही वैध माना जायेगा। पूर्व में गठित समिति (यदि कोई हो) हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर इसकी सूचना डी.सी.डी.सी. कार्यालय को दे। यदि महाविद्यालय द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है तो तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करे ताकि कमेटी गठन प्रक्रिया शुरू की जा सकें।

भवदीय

कुलसचिव

E:Yogi / 2012 / Gen.Sochna002